
## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

IN THE COURT OF A.K. Gapta, Jivit C Gonad 3.1.
Case No Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant
2110 3: 5118
Chara work
그는 그 경영화 사이 가장하는 것이 되었다. 그는 사람들이 살아 있는 것이 되었다. 그는 그는 그를 가장 하는 바다 가장 하는 사람들이 되었다. 그런 그 사람들이 되었다면 그 사람들이 되었다. 그렇게 되었다.
Name parentage caste and address of accused
Name, parentage, caste and address of accused  PS CICKY TURN 1 Agran (MR)
bs rich Iron from (mb).
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 23-10-1ने मुकाम पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आप पर आरोप ह । पर विस तेंध अनुन्ति के अपने
ज्याकरवा रत्याहा जाहर व्याप्त वार्य
आधिपत्य में 22 लीटर/पाव/बोतल 250 शरीब पिक्य निर्मा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।  क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
वया आपका उक्त अपराय (पाना)
ELTITUS DAIN A
(1) 이렇게 보고 보고 보는 이렇게 되었다. 그리면 보고 보고 보는 이렇게 되었다. 이 그리면 보고 보고 보고 있다. 이 그리면 10 전에 보고 보고 있다.
Whe plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
अपराध स्वीकार है। यून दण्ड स दाण्डस अ
Links march



01. अभियुक्त के रिरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। सक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- - 04 जप्तशुदः सम्पत्ति 22 लीटर/पीव/बोतल 33/1 शराब मूल्यहीन एवं मानव एपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार मूल्यहीन एवं मानव एपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार